"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2016—माघ 9, शक 1937

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सृष्टि सिंह पति श्री भारतेंद्र प्रताप सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी-एल. आई. जी. 14, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, देवरीखुर्द, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं कु. शमा खान पिता श्री आई. ए. खान के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 5-7-2005 को भारतेंद्र प्रताप सिंह पिता श्री चन्द्रभान सिंह के साथ बिलासपुर में सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सृष्टि सिंह रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सृष्टि सिंह पति श्री भारतेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| शमा खान<br>पिता श्री आई. ए. खान<br>निवासी-एल. आई. जी. 14, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,<br>देवरीखुर्द, बिलासपुर<br>तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) | श्रीमती सृष्टि सिंह<br>पति श्री बी. पी. सिंह<br>निवासी-एल. आई. जी. 14, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,<br>देवरीखुर्द, बिलासपुर<br>तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सौम्यदीप मजूमदार (Soumyadeep Majumdar) आत्मज श्री सुभाष मजूमदार (Subhash Majumdar) उम्र 22 वर्ष, निवासी-201-बी, आनन्द विहार, फेस-1, बोरसी, दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम सौम्यधुति मजूमदार (Soumyadyuti Majumdar) था जो मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं बैंक संबंधी अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सौम्यदीप मजूमदार (Soumyadeep Majumdar) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सौम्यदीप मजूमदार आत्मज श्री सुभाष मजूमदार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

सौम्यधुति मजूमदार
(Soumyadyuti Majumdar)
आत्मज श्री सुभाष मजूमदार
निवासी-201-बी, आनन्द विहार, फेस-1,
बोरसी, दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

सौम्यदीप मजूमदार
(Soumyadeep Majumdar)
आत्मज श्री सुभाष मजूमदार
निवासी-201-बी, आनन्द विहार, फेस-1,
बोरसी, दुर्ग (छ. ग.)

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमृत लाल चंद्राकर आत्मज श्री चन्द्रभान चंद्राकर, उम्र 58 वर्ष, निवासी-498/2/2, वी. आई. पी. नगर, रिसाली भिलाई, थाना नेवई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शाला प्रमाण पत्र, जमीन रजिस्ट्री एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के अभिलेख में मेरा नाम अमृत लाल आत्मज श्री चन्द्रभान चंद्राकर दर्ज है तथा मेरे परिचय पत्र एवं बैंक अभिलेख में मेरा पूरा नाम अमृत लाल चंद्राकर दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम चंद्राकर जोड़ कर नया नाम अमृत लाल चंद्राकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अमृत लाल चंद्राकर आत्मज श्री चन्द्रभान चंद्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

अमृत लाल
आत्मज श्री चन्द्रभान चंद्राकर
निवासी-498/2/2, वी. आई. पी. नगर, रिसाली भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

अमृत लाल चंद्राकर
आत्मज श्री चन्द्रभान चंद्राकर
निवासी-498/2/2, वी. आई. पी. नगर, रिसाली भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
स्थायी पता-ग्राम कसौन्दा, पो. आ. कसौन्दा
तह. गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कमल किशोर रावत पिता स्व. केशव संतोष रावत, उम्र 38 वर्ष, निवासी-अंबेडकर वार्ड नं. 1 दंतेवाड़ा, थाना दंतेवाड़ा, तहसील दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम कमल किशोर रावत पिता स्व. केशव संतोष रावत है जो मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा उपनाम (सरनेम) रावत है जो सही है. मेरे पिता स्व. केशव संतोष रावत के कुछ दस्तावेजों में सरनेम राऊत दर्ज हो गया है. जो गलत है. मैं अपने उपनाम (सरनेम) को परिवर्तित कर नया नाम कमल किशोर रावत रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे कमल किशोर रावत पिता स्व. केशव संतोष रावत के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| कमल किशोर रावत<br>पिता स्व. केशव संतोष राऊत<br>निवासी-स्टेट बैंक के पास, अम्बेडकर वार्ड 1,<br>पो. व थाना दंतेवाड़ा<br>तहसील व जिला दंतेवाड़ा (छ. ग.) | कमल किशोर रावत<br>पिता स्व. केशव संतोष रावत<br>निवासी-स्टेट बैंक के पास, अम्बेडकर वार्ड 1,<br>पो. व थाना दंतेवाड़ा<br>तहसील व जिला दंतेवाड़ा (छ. ग.) |

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती वेंकटा रावत पति स्व. मिलिंद रावत, उम्र 45 वर्ष, निवासी-मेन रोड, चितालंका तालाब के सामने, चितालंका दंतेवाड़ा, थाना दंतेवाड़ा, तहसील दंतेवाड़ा, जिला उत्तर बस्तर दंतेवाड़ा (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा नाम श्रीमती वेंकटा रावत पति स्व. मिलिंद रावत है जो शासकीय अभिलेखों में दर्ज है. मेरा उप नाम (सरनेम) रावत है. मेरे श्वसुर स्व. केशव संतोष रावत के कुछ दस्तावेजों में उपनाम राऊत दर्ज हो गया है. जो गलत है. मैं अपने उपनाम (सरनेम) को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती वेंकटा रावत रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती वेंकटा रावत पति स्व. मिलिंद रावत पिता स्व. केशव संतोष रावत के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| श्रीमती वेंकटा रावत<br>पति स्व. मिलिंद रावत पिता केशव संतोष राऊत<br>निवासी-मेन रोड, चितालंका तालाब के सामने<br>चितालंका दंतेवाड़ा, पो. व थाना दंतेवाड़ा<br>तहसील व जिला दंतेवाड़ा (छ. ग.) | श्रीमती वेंकटा रावत<br>पति स्व. मिलिंद रावत पिता केशव संतोष रावत<br>निवासी-मेन रोड, चितालंका तालाब के सामने<br>चितालंका दंतेवाड़ा पो. व थाना दंतेवाड़ा<br>तहसील व जिला दंतेवाड़ा (छ. ग.) |

# विविध

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/145.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप जय श्री राम प्रा. सह. उप. भ. सहकारी समिति मर्या. महाराणा प्रताप नगर तोरवा विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 3373 दिनांक 28-01-1991 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् जय श्री राम प्रा. सह. उप. भ. सहकारी समिति मर्या. महाराणा प्रताप नगर तोरवा विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 3373 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. शुक्ला, उप. अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/146.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप जय भवानी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चोरहादेवरी विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 204 दिनांक 21-02-05 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् जय भवानी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चोरहादेवरी विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 204 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अरूण कुमार शर्मा, सह. वि. अ. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/148.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप महिला बहु. सह. समिति मर्या. पचपेड़ी विकासखण्ड मस्तुरी पं. क्र. 301 दिनांक 08-10-2011 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् महिला बहु. सहकारी समिति मर्या. पचपेड़ी विकासखण्ड मस्तुरी पं. क्र. 301 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. सी. ध्रुव, स. वि. अ. मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/170.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या. तखतपुर विकासखण्ड तखतपुर पं. क्र. 3042 दिनांक 29-09-1997 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या. तखतपुर विकासखण्ड तखतपुर पं. क्र. 3042 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री जी. डी. पाण्डेय, सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/171.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप आदर्श साख सहकारी समिति मर्या. त्रिपुर सुंदरी वार्ड 55 विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 261 दिनांक 22-09-08 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् आदर्श साख सहकारी समिति मर्या. त्रिपुर सुंदरी वार्ड 55 विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 261 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्रीमती सिमरन टेकचंदानी, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/174.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप घरौंदा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 227 दिनांक 10-06-2005 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् घरौंदा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 227 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अरूण शर्मा (C E O BILHA) को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/198.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप सांई कृपा क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या. तोरवानाका विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 283 दिनांक 08-08-2010 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् सांई कृपा क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या. तोरवानाका विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 283 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्रीमती ममता रायकर, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/200.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप अरपा प्राथ. उप भण्डार सहकारी समिति मर्या. गांधीनगर बिलासपुर विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 3410 दिनांक 17-09-91 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् अरपा प्राथ. उप भण्डार सहकारी समिति मर्या. गांधीनगर बिलासपुर विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 3410 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्रीमती मीनू अग्रवाल, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

**डी. आर. ठाकुर,**
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.